



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

**Receipt Number :** c11db0ff48f1fbbad284

**Receipt Date :** 03-Oct-2023 11:52:36 am

**Receipt Amount :** 1200/-

**Amount In Words :** One Thousand Two Hundred Rupees Only

**Token Number :** 202300128033

**Office Name :** SRO - Chaibasa

**Document Type :** Sale Deed

**Payee Name :** NEHAL MALIK ( Vendee )

**GRN Number :** 2319532114



-: For Office Use :-

2023/128033  
03/10/2023

2023/CHAIB/692/BK1/668


इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।


इस रसीद के माध्यम से छे में मेरे द्वारा कोई सेवा नहीं की गई है

Apurba Ranjan Sahoo  
03/10/2023

## निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों की जांच हेतु चेकलिस्ट

क्र०सं०	चेकलिस्ट का विषय	Yes	No
1.	खतियान की सत्यापित प्रति		✓
	खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में अंचल कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त		✓
	(i) अंचलाधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी-II		✓
	(ii) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा	✓	
	(iii) शुद्धि पत्र		
	(iv) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में पक्षकार द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करने की प्राप्ति रसीद।		✓
2.	भूमि से संबंधित हाल सर्वे नक्शा तथा इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में पक्षकार द्वारा तैयार स्वप्रमाणित "नजरी नक्शा" जिससे भूमि की अवस्थिति के संबंध में पता चल सके।	✓	
3.	पंजी-II का वाल्यूम संख्या तथा पृष्ठ संख्या का वर्णन	✓	
4.	मुद्रांक शुल्क का भुगतान	✓	
5.	निबंधन शुल्क का भुगतान	✓	
6.	आधार सत्यापन	✓	
7.	PAN सत्यापन		✓
8.	होल्लिंग संख्या का वर्णन (शहरी क्षेत्र होने की स्थिति में)		✓

  
 जांच लिपिक का हस्ताक्षर  
 तिथि सहित

  
 निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
 तिथि सहित

692

668

Sale - 30,000/-, P.S. - N~~o~~amundi, St- 1200/-, Rent 1.00P

23-  
 31.10.23



Ajay Rajan Sahoo  
 3.10.2023

## बिक्री-केवाला

यह जमीन भू-हदबन्दी सीमा से बाहर है।

यह जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) A एवं B का उल्लंघन नहीं किया गया है।

### नाम लेख्यकारी (VENDOR) -

श्री अपूर्ब रंजन साहु, उम्र :- 42 वर्ष, पिता- स्व० रविन्द्रनाथ साहु, दादा- स्व० जटाधारी साहु, श्रेणी- सामान्य (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 से आच्छदित नहीं है)। पेशा- कृषि, निवासी पता- ग्राम गोपालपुर, डाकघर- गोपालपुर, थाना- सदर, जिला- कटक, ओड़िशा, भारतीय नागरिक।

आधार संख्या :- XXXX XXXX 2469

मो० न० :- 7008191461

### Fee paid

A(1) 900.00

alam 3.00

recess 1.00

S.P. 900.00

1804.00

*[Signature]*  
 03/10/23

*[Signature]*  
 03/10/2023

Sahab  
10/10/2023  
A

-2-

नाम लेख्यधारी (VENDEE) -

श्री नेहाल मालिक, उम्र :- 52 वर्ष, पिता- स्व० मोकिम मालिक, दादा- स्व० शहादत मालिक, श्रेणी- सामान्य (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 से आच्छदित नहीं है)। पेशा- व्यवसाय, निवासी पता- पान टांकी के पास, नोवामुन्डी, महुदी, टटरा हटिंग, कोटगढ़, नोवामुन्डी बाजार, डाकघर- नोवामुन्डी, थाना- नोवामुन्डी, परगना थाना- कोल्हान, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

आधार संख्या :- XXXX XXXX 3295 मो० न० :- 7004372852

लेख्यप्रकार

- कायमी हक का आंशिक जमीन किस्म पक्का मकान रकवा- 0.02 डिसमिल 19 वर्गकड़ी में "आवासीय प्रयोजन" हेतु जमीन बिक्री-केवाला।

मलिक

- अंचल अधिकारी, नोवामुन्डी, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड।

मूल्य

- 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र।

वार्षिक लगान

- 1.00 (एक रुपये) मात्र सालियाना मालगुजारी अंचल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुन्डी को मिलें।

तफसिल जमीन

- जिला निबंधन का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, सदर चाईबासा एवं अवर निबंधन का कार्यालय, सदर चाईबासा, मौजा- महुदी, राजस्व थाना- कोल्हान, थाना न०- 744, हल्का न०- 02, खाता न०- 111, प्लॉट न०-791, में से रकवा- 0.02 डिसमिल 19 वर्गकड़ी जमीन बिक्री-केवाला। जो कि वोल्युम न०- 07 एवं पृष्ठ सं०- 77 पर दर्ज है।



Apurba Ranjan Sahoo  
3.10.2013

-3-

चौहदी :- उत्तर - संजय राहा  
दक्षिण - जैतगढ़ सड़क  
पूरब - प्लॉट न० 690  
पश्चिम - मेन रोड

यह जमीन ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सड़क के अंदर में स्थित है।

बिक्रीत जमीन का नक्शा इस दस्तावेज में संलग्न है और बिक्रीत प्लॉट को लाल रंग से रंगीन कर दर्शाया गया है, जो इस प्रलेख का एक अंश माना जायेगा।

चूँकि व्यवसाय करने हेतु रूपयों की अत्यंत आवश्यकता होने पर तथा जमीन बिक्री करने के सिवाय रूपयों मिलने का और अन्य उपाय नहीं होने के कारण तफसिल में दी गई जमीन क्रेता के पास जमीन बिक्री करने का विचार प्रकट करने पर जमीन का उचित मूल्य 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र में खरीदने को क्रेता के सहमत हुए एवं उपरोक्त वर्णित भूमि की बिक्री निर्धारित राशि में बिक्री कर एवं क्रेता के दखल- कब्जा में देकर उक्त भूमि से सदा के लिये निःस्वत्व हुआ।

Apurba Ranjan Sahoo.

3.10.2023.

-4-

चूँकि विवरण में लिखा जमीन हाल सर्वे सटेलमेंट में आवेदित भूमि आवेदक के दादा जटाधारी साहु एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज होकर है। वर्तमान में दादा एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् परिवारिक बाँटवारे में उक्त जमीन आवेदक के हिस्से की दखली जमीन है। वर्तमान में अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के द्वारा आवेदित भूमि आवेदक अपूर्ब रंजन साहु, पिता- स्व० रविन्द्रनाथ साहु, के नाम से उत्तराधिकारी नामान्तरण मुकदमा संख्या- 50/R27/2023-2024, दिनांक- 22.08.2023 को शुद्धि पत्र में नामान्तरित होकर है। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक का नीज एवं रैयती जमीन है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है तथा सालाना लगान अदा करते आ रहे हैं, यह सम्पूर्ण जमीन ऋणभार से मुक्त है और इस जमीन पर न्यायालय में किसी प्रकार कोई भी मुकादमा नहीं चला था और इस प्लॉट पर कोई भी पेड़-पौधा नहीं है।

Aparte Rayan Sahoo.  
3.10.2023

-5-

क्रेता आज के तारीख से उल्लेखित जमीन के मालिक के सेरेस्ते में मालिक बनकर अपने नाम से नामान्तरण पाकर वार्षिक लगान देकर उपरोक्त वर्णित भूखण्ड में अपने उत्तराधिकारियों सहित निर्विरोध भोग-दखल करते रहेंगे। इसमें हम या हमारे कोई भी उत्तराधिकारी किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित करे तो कानूनन अमान्य होगा।

उल्लेखित भूमि न ही ठीका, दान-पत्र, बंधक, वासियतनामा एवं एकरारनामा के जरिये किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति के पास हस्तान्तरण किये है। यदि भविष्य में ऐसा प्रकट हो तो कानूनन हम दायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, भूदान, बन्दोबस्त भूमि नहीं है तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इसका हस्तांतरण प्रतिबंधित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की निशेधाज्ञा (Injunction) किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लगायी गयी है तथा इसका हस्तांतरण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है।

Apurba Ranjan Sahoo  
3.10.2023

-7-

मेरे बयान पर यह दलित टंकित करवाया गया तथा बिक्रेता को पढ़कर सुना  
वो समझा दिया।

Jospin Sindi  
3/10/2023  
अधिवक्ता का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि बिक्रेता एवं क्रेता का छायाचित्र चिपकाया गया  
तथा उनके बाँयें हाथ का पाँचों अँगुलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया।

*[Handwritten signature]*

Jospin Sindi  
JOSPIN SUNDI  
Enrollment No.-JH/247/2020  
Advocate  
अधिवक्ता का हस्ताक्षर

मैंने टंकित किया।



ATTESTED  
Jospin Sindi  
3/10/2023

Malik  
03/10/23

